अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

2022/209/225 सत्यनारायण V/s कैलाश

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
पेशी	2022/209 श्री डीपक पारीक AD श्री	

2.8.22

कैलाश बनाम गुलाब वगैरह

पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित हुए। अभिभाषक अपीलांट को स्थगन प्रार्थना पत्र पर दिनांक 26.07.2022 को सुना गया।

अभिभाषक उभयपक्ष ने दौराने बहस निवेदन किया कि अपीलांट विवादित आराजी का सह–खातेदार होकर काबिज काश्त चले आ रहे है। जिससे यह तथ्य पूर्ण रूप से साबित है कि प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति का बिन्दु कहीं भी विपक्षी के पक्ष में साबित ना होकर अपीलांट के पक्ष में साबित होता है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विपक्षी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में अंकित के समर्थन में कोई भी पुख्ता दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था जिससे विपक्षी का प्रथम दृष्टया प्रकरण कहीं भी साबित नहीं हो रहा है,इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विपक्षी के कथनों पर विश्वास कर रिकार्डेड खातेदार को पाबंद किए जाने के गंभर त्रुटि कारित की है। अधीनस्थ न्यायालय ने गलत रूप से एवं मनमाने तौर पर प्रार्थीगण जो कि विवादित आराजीयात का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमा दिया है। अधीनस्थ न्यायाल यके उक्त आदेश की आड़ में विपक्षी द्वारा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त एवं आराजी के उपयोग– उपभोग में बाधा उत्पन्न करने एवं उसे जबरन वादग्रस्त आराजी से बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है तथा प्रार्थीगण/अपीलांटस को अपने विधिक अधिकारों के उपयोग–उपभोग से वंचित होना पड़ रहा है,इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना को स्थगित किया जाना न्यायोचित व न्याय संगत है। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीगण/अपीलांट के पक्ष में है। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ताफैसला अपील सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.07.2022 एवं अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 29.12 2021 की पालना व प्रभाव स्थगित किए जाने का आदेश न्यायहित में प्रदान किया जावें। अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में आर.बी.जे. (13) 2006 पेज 21 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया है।

अभिभाषक अपीलांट के द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की व अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन दिनांक 29.12.2021 का आदेश एक पक्षीय था इसके बावजूद आदेश 39(3) व 39(3क) जाप्ता दीवानी की पालना सुनिश्चित नही की गई, न तो रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये, न ही 6 माह बीतने के बावजूद तामीली की प्रक्रिया पूर्ण की गई। दिनांक 13.07.2022 को पुनः एक अंतरिम आदेश जारी किया गया। जो न तो अंतिम आदेश की श्रेणी में आता है और न इसमें अंतरिम आदेश का गुणावगुण पर विनिश्चय किया है। प्रथम दृष्टया ही विचारण न्यायालय में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 04 प्रफोर्मा पक्षकार प्रतीत होते है जैसा कि अप्रार्थी वकील ने अपनी प्लीडिंग में बचाव भी किया है। अतः गुणावगुण पर अंतिम रूप से विनिश्चय किया जाना विधि सम्मत होता है। अभिभाषक अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत से हम सहमत है। अधीनस्थ न्यायालय ने जो आदेश पारित किया गया है वह विधि सम्मत नहीं हैं। पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए, हम अपील को इसी स्तर पर निर्णित कर प्रकरण को इस आशय से प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि वे प्रार्थना पत्र का 30 दिवस में उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देते हुए गुणावगुण पर निर्णित करें।

अतः अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू के आदेश दिनांक 13.07.2022 एवं अन्तरिम

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए

आदेश दिनांक 29.12.2021 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का गुणावगुण पर उक्त आदेश से 30 दिवस में निस्तारण करें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम का निस्तारण हो जाने पर न्यायालय हाजा के आदेश निःप्रभावी रहेगें। पक्षकारान दिनांक 10.08.2022 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने हेतु पाबंद किया जाता है। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर